संख्या 177 / 66–2004

प्रेषक:

वी0के0दीवान
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : २५ जनवरी, 2004

विषय :– समग्र ग्राम्य विकास योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

गांवों के सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास के लिये उत्तर प्रदेश समग्र ग्राम्य विकास योजना 9 दिसम्बर, 2003 प्रदेश में लागू की गई और उसी कम में आपको शासनादेश 1996 / 66–2003 दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 तथा शासनादेश सख्या 1451 / अ0ग्रा0वि0वि0 / 2003 दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 को भी भेजा गया।

2. इस योजना के कार्यान्वयन की गति में और अधिक त्वरण की आवश्यकता है जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चयनित गांवों को 16 सूत्रों से संतृप्त किया जा सके।

3. आपको इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर की समय–सारिणी के माध्यम से यह अपेक्षा की है कि उसी के अनुसार आप कार्य सम्पादित करेंगे।

4. इस योजना को शासनादेश 9 दिसम्बर, 2003 के द्वारा लागू करते हुये सभी को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 16 सूत्रीय कार्यक्रमों को सम्बन्धित कार्यदायी विभागों के विभागीय बजट से संतृप्त होंगे और किसी अतिरिक्त धन की मांग की आवश्यकता नहीं होगी।

5. विकास के प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे सड़क निर्माण के लिये लोक निर्माण, गन्ना विकास, मण्डी और ग्राम्य विकास विभाग आदि कई योजनायें है और यही

अगले पेज हेतु क्लिक करें

स्थिति कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी है। सम्पर्क मार्ग, पेयजल आदि की योजनाओं का चयनित गांवों में एकस्थ (converge) करके संतृप्त किया जाय। प्रत्येक कार्यदायी विभाग का यह दायित्व होगा कि जो सूत्र उसके विभाग के है उससे वह चयनित गांवों को संतृप्त करें। वार्षिक मूल्यांकन में इस योजना के संगत सूत्र की सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा उपलब्धि को विशेष रूप से अंकित किया जायगा। प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि जो सूत्र उनके विभाग से सम्बन्धित है उसके संतृप्तीकरण और प्रतिपूर्ति में यदि किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता या प्रमाग होता है तो कठोर कार्यवाही की जाय और तदनुसार निर्देश विभागाध्यक्ष को भी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में दिए जाय।

6. इस योजना के लोकहितकारी उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि इस योजनान्तर्गत चयनित सभी गांवो को 16 सूत्री कार्यक्रमों में उपलब्ध विभागीय बजट से निर्धारित मानक एवं मापदण्ड के अनुरूप सभी संगत विकास कार्यक्रमों को एकस्थ (converge) करके संतृप्त किया जाय। यह कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता का है और वित्त पोषण विभागीय बजट से होना है इस कारण इन विकास कार्यक्रमों से चयनित गांवों के संतृप्तीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई या अवरोध की कोई सम्भाव्यता नहीं होनी चाहिए।

भवदीय,

(वी0के0दीवान)
मुख्य सचिव,

पृष्ठांकन संख्या 177(1)/6-04 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त संयुक्त / उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(दया शंकर)
विशेष सचिव,